

RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033

Phone: 0141-2795527, 2795550; Fax: 0141-2795550

Website: www.ruhsraj.org

DIRECT RECRUITMENT OF DRUG CONTROL OFFICER IN DRUG CONTROL ORGANIZATION, RAJASTHAN MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT, GOVT. OF RAJASTHAN

DRUG CONTROL OFFICER RECRUITMENT EXAMINATION 2013

Information Booklet

Refer RUHS website (www.ruhsraj.org) for updated and relevant information.

Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur invites on-line applications in compliance of the order no. P9(24)(M&H)/2/2011 dated 03.07.2013 of Medical & Health Department (Gr.-2), Govt. of Rajasthan, for direct recruitment of Drug Control Officer in Drug Control Organization, Rajasthan.

Please read carefully

- 1) Notification
- 2) Information booklet
- 3) Instructions for filling the on-line application form
- 4) Syllabus etc.

available at the website, before you start filling the application form, on-line.

IMPORTANT DATES

Start date for filling of on-line application form at RUHS website	27.08.2013
Last date for submitting the on-line application form at RUHS website	16.09.2013 (12.00 midnight)
Date of examination	To be intimated later.
Receipt of printout of the on-line application form (along with RUHS copy of bank challan and all relevant documents)	To be intimated later.

APPLICATION FEE

All candidates have to pay non-refundable application fee of Rs. 3000/- (**Rs. 1500 for SC, ST category**) through bank challan at any branch of Oriental Bank of Commerce.

The application fee is neither refundable, nor transferable and nor adjustable for any other recruitments. Any plea in this matter shall not be entertained.

ELIGIBILITY CRITERIA

1. Educational Qualification

A Degree in Pharmacy **or** Pharmaceutical Sciences **or** Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by Law as prescribed in Rule 49 of the Drugs and Cosmetics Rules 1945.

Knowledge of Hindi language in devnagri script (lipi) – to read, to write and to speak

2. Other qualification

Knowledge of Hindi language in devnagri script (lipi)

3. Age limit

Minimum 21 years and maximum 45 years (as on the date of DCO Recruitment Examination 2013).

The relaxation in upper age limit for reserved category candidates in Rajasthan shall be applicable as per state government rules.

APPLICATION PROCEDURE

Before filling the on-line application form, read the notification, information booklet etc. carefully. Ensure the eligibility and other requirements / criteria for recruitment as given in this booklet.

You should be very careful in filling-up the on-line application form. If any lapse is detected during the scrutiny, your candidature will be rejected even if you come through the final stage of recruitment process or even at a later stage.

IMPORTANT: HAND WRITTEN / TYPED / PHOTOSTAT COPIES / PRINTED APPLICATION FORM / SCREEN PRINTOUT WILL NOT BE ENTERTAINED.

Follow the steps as given in “Instructions to fill up on-line application form” available at the website.

In case you have any difficulty while filling on-line application form, send email to Helpline at ruhsdco@gmail.com

On filling Part I of the application form, you can print Bank Challan form to deposit the application fee at any branch of Oriental Bank of Commerce and obtain the same with Bank Transaction ID.

Note the Form no. (User ID) for further steps. Keep it safe.

Ensure that Bank transaction ID is mentioned on all the three slips (by the branch of Oriental Bank of Commerce where you deposit the application fee using your bank challan).

After payment of application fee you can access to Part II of the on-line application form by entering your Form no. and date of birth.

EXAMINATION

The syllabus for the on-line examination is available at the RUHS website.

The date of on-line examination shall be notified in due course.

There shall be 100 multiple choice questions of one mark each. There shall be no negative marking.

The RUHS reserves the right to create cities / centre(s) for examination and also to call the candidates for the examination at any city / centre.

The details relating to conduct of the examination shall be available at the RUHS website in due course.

Candidates trying to use unfair means shall be disqualified from the recruitment. No correspondence whatsoever will be entertained from the candidates.

You should make sure of your eligibility to the post and that the declaration made by you in the format of application regarding your eligibility is correct in all respects. You will be liable to any legal action and / or termination from the services as may be deemed fit by the appointing authority, Govt. of Rajasthan, Jaipur in case it is found that you have furnished in-correct information or made false declaration regarding your eligibility at any stage or suppressed any information.

The jurisdiction for legal cases arising out of the recruitment process shall be limited to the competent courts at Rajasthan only.

The decision of the RUHS in all aspects and all respects pertaining to the application and its acceptance or rejection as the case may be, conduct of examination and at all consequent stages culminating in the selection or otherwise of any candidate shall be final in all respects and binding on all concerned.

RUHS reserves its right to alter and modify time and conditions laid down in the notification for conducting the various stages up to selection, duly intimating details thereof on the RUHS website, as warranted by any unforeseen circumstances arising during the course of this process, or as deemed necessary by the RUHS at any stage.

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

प0 9(24)चिस्वा/2/2011

दिनांक 3-7-13

रजिस्ट्रार,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- औषधि नियंत्रण अधिकारियों के 20 पदों पर सीधी भर्ती हेतु।

माधोवय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए-11/86 दिनांक 6.9.2011 (42/2011) जिसके द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 एवं एफ.1(2)डीओपी/ए-11/86 दिनांक 6.9.2011 (43/2011) के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग(कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 में संशोधन किये गये हैं।

उक्त संशोधनों के फलस्वरूप औषधि नियंत्रण अधिकारियों एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अन्य पदों की भर्ती विभाग के स्तर पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से संवीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर की जानी है।

अतः विभाग में औषधि नियंत्रण अधिकारियों के 20 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करावे। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण पताका अ पर संलग्न तथा उक्त पद अंकित आरक्षण की स्थिति के अनुसार भरे जाने हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (अर्थना -2 सेट)

भवदीया,


(Handwritten signature)

(अल्पा चौधरी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्यय भवन, तिलक मार्ग, राज0, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक शासन सचिव



सीधी भर्ती हेतु अर्थना पत्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिये औषधि नियंत्रण अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु।

- 1(क) पद का नाम (हिन्दी) में : औषधि नियंत्रण अधिकारी
 पद का नाम (अंग्रेजी) में : Drug Control Officer
 (ख) भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या : 20
 पदों का आरक्षण:-

वर्ग	सामान्य	महिला	योग
1. अनुसूचित जाति	03	01	04
2. अनुसूचित जनजाति	02	—	02
3 पिछड़ा वर्ग	03	01	04
4. अनारक्षित सामान्य वर्ग	07	03	10
कुल	15	05	20

- (ग) भरे जाने वाले पद/पदों का रिक्ति वर्ष

1. 20पद(नवसृजित,वर्ष 2012-13)
 (परिशिष्ट-1)
 2. विशेष योग्यजन -01
 (ओ.एल.
 /ओ.ए.)

2. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/विकलांग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावे या उक्त जातियों के अभ्यार्थियों से ही भरा जावे स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। यदि आरक्षित जाति के अभ्यार्थी उपलब्ध न हो तो सामान्य अभ्यार्थी से भर दिये जावे।

निर्धारित रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदों को भरा जाना प्रस्वावित हैं।

नोट:- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये आरक्षित पदों की कुल स्पष्ट संख्या रोस्टर प्रणाली के आधार पर उपरोक्त भाग में अंकित करने का उत्तरदायित्व नियुक्ति अधिकारी का होगा।

- (क) पद राज्य सेवा का अथवा अधीनस्थ सेवा का है :- राज्य सेवा
 (ख) पद किस सेवा नियम के अंतर्गत भरा जाना है :- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963

औषधि नियंत्रक
 राजस्थान, जयपुर

पद अथवा पदों की प्रख्यापित (Prescribed) सेवा नियमों के शिड्यूल में अस्थाई रूप से यदि समाविष्ट किया गया हो तो उस आदेश एवं अस्थाई शिड्यूल की प्रति भी अर्थना के साथ अवश्य संलग्न करें।

X

3(क) पद अस्थाई है अथवा अस्थाई:-

अस्थाई

(ख) यदि अस्थाई है तो:-

1-पद अस्थाई स्वीकृति की अवधि कब तक की है:-

31 मार्च 2013

2-क्या पद अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है:-

जी हाँ

3-क्या पद अस्थाई होने की संभावना है:-

जी हाँ

(ग) क्या पदों पर तदर्थ नियुक्ति/नियुक्तियों की हुई है, यदि हाँ तो क्या उनकी नियुक्तियाँ प्रख्यापित सेवा नियमों के अंतर्गत नई भर्ती (अल्पकालीन विज्ञापन/ पदोन्नति/ स्थानांतरण/संविदा (Contract) द्वारा की गई है, कृपया स्पष्ट उल्लेख करें

जी नहीं

(घ) पद पर कौन कार्य कर रहा है/रहे थे/रहे हैं तथा अर्थना के साथ उनकी सूची संलग्न करें

शून्य (नव सृजित पद)

(ङ) पद/पदों के रिक्त होने का कारण

नव सृजित पद

4 योग्यताएं:- अनिवार्य (हिन्दी) में अनुभव

(क)

Qualification (Essential) & Experience in 1 English


राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियमों की प्रति संलग्न (परिशिष्ट-2)

(ख) न्यूनतम योग्यता (हिन्दी) में

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 49 के अनुसार (परिशिष्ट-3)

Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by Law.

2. देवनागरी लिपि हिन्दी लिखने व पढ़ने का व्यवहारिक ज्ञान


औषधि नियन्त्रक
राजस्थान, जयपुर

1. यदि योग्यता में समकक्ष योग्यता भी हो तो इन समकक्ष योग्यताओं की सूची संलग्न करें।
2. यदि योग्यताओं में मान्य संस्थाएं संबंधित हो तो उन समस्त मान्य संस्थाओं की सूची संलग्न करें।
3. यदि योग्यताओं में विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख हो तो प्रशिक्षण का पूर्ण उल्लेख करें कि यह किस प्रकार का हो तथा कहां से प्रशिक्षण लिया गया है।

(ख) वेतन का विवरण

1. वेतनमान 15600-39100(ग्रेड पे 5400) पे बैंड-3

2. राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स 2008 के नियम 21 के तहत परीक्षा अवधि में नियत पारिश्रमिक (Fixed) 16800/- प्रतिमाह देय होगा। सफलतापूर्वक पूर्ण परीक्षा अवधि होने पर चालू वेतन बैंड में वेतन नियतन किया जायेगा।

3. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय। अंशदायी पेंशन योजना परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

(ख) अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन कितना व किन परिस्थितियों में:-

जी नहीं

6 आयु (क) आयु सीमा - न्यूनतम एवं अधिकतम

21 वर्ष न्यूनतम एवं 45 वर्ष अधिकतम। (राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत। (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प016(2)चिस्वा/गुप-2/2001 पार्ट दिनांक 31.01.2012 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की गई है)

(ख) अधिकतम आयु सीमा में छूट

- 1 सामान्य महिलायें एवं एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी (पुरुष) :- 5 वर्ष
- 2 भूतपूर्व सैनिक 50 वर्ष की उम्र तक।
- 3 विधवा एवं तलाकशुदा महिलायें- कोई आयु सीमा नहीं
- 4 एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी (महिलायें) :-10 वर्ष
- 5 निशक्तजन को आयु सीमा में नियमानुसार छूट होगी

श्रीधर नियन्त्रक

राजस्थान, जयपुर

4
नोट:-राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अनुसार विभिन्न जातियों के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में छूट के संबंध में जारी नियमों की प्रति संलग्न की जा रही हैं

7 पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं) में :-

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियम 1945, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, ड्रग एण्ड मेजिक रेमेडिज(ओब्जेक्शनेबल एडवरटाइजमेंट) एक्ट, आदि के तहत परिभाषित समस्त कार्य।

राज्य के किसी भी जिले व तहसील पर सरकार द्वारा निर्धारित, जहां पर पद सुजित हैं।

दो वर्ष (फिक्स वेतन) परीवीक्षा काल में किसी प्रकार की विभागीय परीक्षा अथवा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं।

जी नहीं, केवल अंशदान पेंशन योजना लागू।

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम एक माह की अवधि में।

जी नहीं

विभागीय परीक्षा काल (विभागीय) प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) विभागीय परीक्षा, यदि आवश्यक हो तो उसका विवरण प्रकाश पत्र में संलग्न है :-


अथवा जिसके अन्तर्गत आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों की नियुक्ति की दिनांक से कार्यभार संभालना है

अन्य सुविधायें यथा निशुल्क निवास विद्युत-जल इत्यादि

कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दो से अधिक पदों पर सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शासन सचिवालय के परिपत्र क्रमांक : प.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.6.06 के अनुसार, राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस अर्थना प्रपत्र में दिये गये विवरण पूर्णतः संबंधित सेवा नियमों यथा राज्य सेवा में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये स्थाई अनुदेशों {Standing Instructions} के अनुसार है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता, कार्यालय अनुदेशों {Executive Instructions} के अनुसार अर्थना प्रपत्र भेजने के लिए सक्षम है।



(डी० के० श्रृंगी)

औषधि नियंत्रक

राजस्थान राज्य प्रमुख

राजस्थान राज्य प्रमुख

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पद नाम व मोहर

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग 1963

परीक्षा क्र (1)

Senior Post		[DRUG CONTROL ORGANISATION]			
7	Drug Controller	100% by Promotion		Asstt. Drug Controller	5 years Experience on the post mentioned in Col. 5.
7A	Dy. Director	100% by Promotion		Drug Analyst	5 years experience on the post mentioned in Col. No. 5.
	Assistant Drug Controller	100% by promotion		Drug Inspector	Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5.
9	Drug Analyst	100% by promotion		Assistant Drug Analyst	Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5.
10	Assistant Director & Consumer Protection (Drug Control)	100% by promotion		Legal Technical Officer	Five years experience on the post mentioned in Col. No. 5.
JUNIOR POST					
11	Drug Inspector	100% by Direct recruitment	As prescribed in Rule 49 of the Drug and Cosmetics Rules, 1945 as amended from time to time.		

Added vide Notification No. F. 1(2) DOP/A-11/86, dated 2-8-1995, effective from the date of 26-8-1985 except the S.No. 10 (w.e.f. 13-4-1992).

Substituted Vide Notification No. F.1 (2) DOP/A-11/86, dated 18-4-1998 (18/98), for :-
 7. Deputy Drug Controller 100% by Promotion Assistant Drug Controller/Drug Analyst Five Years experience on the post mentioned in Col. No. 5.

For the purpose of promotion the inter-lacing of Assistant Drug Controller and Drug Analyst shall be on the basis of length of continuous service after regular selections. If length is equal the drug Analyst shall rank junior as he is coming from another channel.

औषधि नियंत्रक
 राजः, जयपुर